

हिम्मत सिंह वगैरा बनाम रामफूल वगैरा

किस्म मुकदमा : स्थानान्तरण प्रा0 पत्र

मु0नं0 63/2017

15.12..2017

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी श्री राजेन्द्र जांगिड को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पीठासीन अधिकारी उप जिला कलक्टर लालसोट को तथ्यात्मक टिप्पणी तलब करने बाबत तहरीर जारी हो। सम्मन जारी हो। पत्रावली दिनांक 22.1.2018 को पेश हो।

*[Handwritten signature]*

अति० जिला कलक्टर  
दोसा

तहरीर  
7436  
15-12-17

Notice  
7467-78  
19-12-17

7-2-18

अधिवक्ता प्रार्थी दिनांक 22-1-2018 का राजकीय अध्याय घोषित होने से पत्रावली आरंभ पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अज्ञात से। जग 12 की तारीख प्राप्त। बावनूड तारीख उपस्थित नहीं है। अध्याय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालमोर से टिप्पणी प्राप्त है। अधिवक्ता प्रार्थी की बहाने पुनी गई एवं पत्रावली का अधिलेखन किया गया। माल ही उपखण्ड अधिकारी लालसोट से प्राप्त टिप्पणी की अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी लालसोट को विचारधीन प्रकरण का स्थानान्तरण अन्य न्यायालय में किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अध्याय उपखण्ड अधिकारी लालमोर में विचारधीन बनवानी वाद हिम्मत सिंह बनाम रामफूल को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालमोर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजाबान में स्थानान्तरित किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी लालमोर को निदेशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण के संबंध में पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजाबान में भिजवाना सुनिश्चित करें। उपखण्ड अधिकारी लालमोर नांगल राजाबान में भिजवाना है, तहरीर भिजवायी जावे। पत्रावली फौजदारी नम्बर से कम है। निदेश आरंभ दिनांक 7-2-18 को उपखण्ड न्यायालय में भिजवाया गया।



*[Handwritten signature]*  
अति० जिला कलक्टर